यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग** के माह 04.2010 से 10.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री राजकुमार , लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 11.11.2017 से 16.11.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग की स्थापना राजाज्ञा सं. 45/XXIV/(7) 2006 एवं दिनांक 06.07.2006 को उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 31(2) के अधीन की गई। राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग उत्तरी मध्य भू-भाग में हिमालय की गोद में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थली में स्थित है। वर्तमान में महाविद्यालय में तीन विभागों बी.ए., बी.बी.ए., बी.सी.ए. के पाठ्यक्रम संचालित हैं। इसी क्रम में स्नातक स्तर पर डिग्री पाठ्यक्रम तथा बी.एस.सी. हाल्टीकल्चर तथा बी.टी.एस. कोर्सेस की मान्यता दी गई है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	2014-15	0.00	0.00	25.82	22.21	-	3.61	0.97	0.89	-	0.08
2	2015-16	0.00	0.00	33.30	30.03	-	3.27	3.69	3.44	-	0.25
3	2016-17	0.00	0.00	32.74	31.15	-	1.59	12.76	12.75	-	0.01
4	2017-18 (10/17)	0.00	0.00	28.40	23.60	-	4.80	10.75	5.10	-	5.65

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2014-15	RUSA	-	-	-	-	-
2015-16	RUSA	NIL	24.68	21.00	(-)3.68	-
2016-17	RUSA	-	-	-	-	-
2017-18 (10/2017)	RUSA	-	-	-	-	-

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शिक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. महाविध्यालय, रुद्रप्रयाग

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2010 से 10.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017, 03.2016, 03.2014, एवं 01.2011 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- स्वीकृत धनराशि रु. 184.56 लाख प्रयोजन के अनुरुप नहीं पाया जाना।

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में रुसा से आच्छादित महाविद्यालय की अभिलेखों की जांच की गयी। जांच में पाया गया कि रुसा गाईडलाइन्स के घटक सं. 7 के अंतर्गत शासनादेश सं. 1663/XXIV(7)-86(2)/2015 दिनांक 05 नवम्बर 2015 के क्रम में महाविद्यालय को कुल धनराशि रु. 184.56 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें तीन क्लॉस रुम के निर्माण हेतु रु. 63.21 लाख, भवन उच्चीकरण हेतु रु. 61.35 लाख तथा नई सुविधाएं हेतु रु. 60.00 लाख की लागत का निर्धारण पाया गया। गाईडलाइन्स के अनुसार पुननिर्माण/उच्चीकरण की राशि उन महाविद्यालय को जारी की जा सकती है, जिनके पूर्व में भवन के पर्याप्त निर्मित क्षेत्र थे परंतु लेखापरीक्षा में महाविद्यालय का पूर्व से अपना कोई भवन नहीं था। साथ ही नई सुविधायें के अंतर्गत क्रीड़ा सुविधायें/कम्प्यूटर तथा नई पुस्तकों के क्रय के लिए धनराशि की स्वीकृति पायी गयी। जिसके भविष्य में रखरखाव के लिये महाविद्यालय के पास पर्याप्त निर्मित क्षेत्र की कमी पायी गयी।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संबंधित प्रकरण के निर्णय शासकीय होने के कारण महाविद्यालय विशेष टिप्पणी करने में असमर्थ है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं पाया गया, इकाई द्वारा इस आशय की जानकारी समय से शासन को प्रदान किया जाना चाहिए था कि नई सुविधायें के अंतर्गत पृथक से कम्प्यूटर लैब, क्रीड़ा सामग्री तथा पुस्तकों के रखरखाव के लिये पृथक-पृथक क्रमशः स्टोर रुम तथा पुस्तकालय की जगह की आवश्यकता होगी, परंतु भवन के नाम पर निर्माणाधीन मात्र तीन क्लास रुम प्रयोजन की पूर्ति के लिए अपर्याप्त पायी गयी तथा पुननिर्माण के अंतर्गत स्वीकृत राशि प्रयोजन के विपरीत पायी गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- प्रयोजन के विपरीत रु. 1.81 लाख व्यय का प्रकरण पाया जाना।

महाविद्यालयों के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों का रखरखाव एवं उपयोग के संबंध में जारी शासनादेश सं. 5125/15.11.86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 जो वर्तमान में उत्तराखण्ड में प्रभावी पाया गया, के बिन्दु सं. 04 के अनुसार- छात्रकोष से विकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नहीं लिया जायेगा और यह राशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये वसूल की गई है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग द्वारा रखरखाव किये गये विभिन्न छात्रनिधियों की नमूना जांच में विसंगतियाँ प्रकाश में आयी। आँकड़ों का विवरण निम्नवत् पाया गया।

मद	दिनांक	निकासी धनराशि	प्रयोजन जिस पर व्यय किया गया।
क्रीड़ा	20.10.11	3850	पुस्तक क्रय
	05.05.12	9480	तदैव
	19.12.13	14547	तदैव
पाठ्यक्रम शुल्क	26.04.07	3558	तदैव
	01.08.07	34395	तदैव
	31.11.07	18304	तदैव
	22.02.08	2681	टेलीफोन बिल व्यय
	29.04.08	5000	विभिन्न उद्देश्य
रखरखाव	03.04.12	26994	पुस्तक क्रय
	19.08.16	27000	अन्य प्रयोजन
	22.08.16	10000	तदैव
	13.12.16	9450	परिचय पत्र की छपाई
मानदेय	21.12.11	4765	अन्य प्रयोजन
	03.11.12	1862	टेलीफोन बिल
	29.11.12	3400	विद्युत
	18.07.14	3763	फोटो स्टेट
	04.08.15	1074	स्टेशनरी
	31.12.15	1080	फोटो स्टेट
कुल योग		**181203**	

उक्त विवरण से स्पष्ट था कि छात्रनिधियाँ जिस प्रयोजन के लिए सृजित थी, उसके उद्देश्य को प्रभावित किया गया तथा निकाली गयी धनराशियां असमायोजित पायी गयी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि छात्र हितों को देखते हुये एवं शासकीय बजट के अभाव में कार्य किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं था, क्योंकि दिशानिर्देशन का अनदेखी कर प्रयोजन प्रभावित किया गया तथा आहरित धनराशि का समायोजन भी नहीं पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- 2 ब

प्रस्तर:3- महाविद्यालय मे स्वीकृत पदो के सापेक्ष संविदा पर अधिक शिक्षको की नियुक्ति एवं मानदेय धनराशि रु 11.05 लाख का अनियमित भुगतान।

पत्रांक 45/xxiv(7)/2006, दिनाक 06 जुलाई 2006 के तहत रुद्रप्रयाग मे राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान की गयी तथा महाविद्यालय मे बी°बी°ए°, बी°एस°सी°, बी°टी°सी° तथा बी°सी°ए° पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने हेतु महाविद्यालय को अस्थायी संबद्धता प्रदान की गयी थी। पत्रांक 2318/जी एस°/03/ संबद्धता/2006, दिनांक 21 अगस्त 2006 के अनुसार महाविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों हेतु दिनांक 01.07.2006 से स्थायी संबद्धता जारी होने अथवा अग्रिम आदेशों तक, अस्थायी संबद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

पत्रांक 274/XXIV(7)/2006, दिनांक 29 नवंबर 2006 के तहत वर्ष 2006-07 मे महाविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों हेतु पदो (04 प्रवक्ता पाठ्यक्रमों बी°बी°ए, बी° सी°ए, बी°एस°सी तथा बी°टी°एस° हेतु) का सृजन 28 फरवरी 2007 तक की अवधि के लिए किया गया था, उक्त पदो हेतु होने वाला व्यय आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202- सामान्य-03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103- राजकीय कालेज तथा 08- नए राजकीय महाविद्यालयो की स्थापना के नामे डाला जाएगा।

शासनादेश संख्या 148/XXIV(7)/2006-3(6)2000, दिनांक 29 नवंबर 2006 के अंतर्गत महाविद्यालयो मे शिक्षको के रिक्त पदो पर जनपदवार संविदा पर शिक्षको की व्यवस्था निम्न शर्तो पर की गयी :-

1. अभ्यर्थी की संविदा पर कार्य करने के एवज मे प्रति वादन रु 200 तथा प्रतिमाह कम से कम 8000/- तथा अधिकतम रु 10000 की धनराशि मानदेय के रूप मे दी जाएगी ।

2. यह व्यवस्था सर्जित रिक्त पदो के विरूद्ध ही की जा रही है।

3. प्रथम बार मे केवल वर्तमान शिक्षा सत्र मे शिक्षण कार्य के लिए ही अभ्यर्थी को संविधा पर आमंत्रित किया जाना होगा। अगले शिक्षा सत्र मे आवश्यकता होने पर नए सिरे से संविदा की जानी होगी।

4. अभ्यर्थी का संविदा पर चयन दो वर्ष से अनधिक अवधि अथवा लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक किया जाएगा।

शासनादेश संख्या 1609/XXIV(7) 103(4)/2008, दिनांक 23/09/2010 के तहत सृजित पदो के अंतर्गत महाविद्यालयो मे अस्थायी पदो को 01.03.2006 से 28.02.2010 तक कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 1.03.2010 से 28.02.2011 तक की निरंतरता स्वीकृत की गयी थी तथा पत्रांक 25/XXIV (7) 103 (4)/2008, दिनांक 06.01.2012 के अंतर्गत दिनांक 01.03.2011 से 29.02.2012 तक की निरंतरता स्वीकृत की गयी थी। उक्त सृजित पदो हेतु उक्त पत्रांक के बिन्दु संख्या 03 के अनुसार अस्थायी पदो एवं आउट सोर्स से भरे जाने वाले पदो पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के आयोजनगत पक्ष मे अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202- सामान्य-03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103- राजकीय कालेज तथा संस्थान के नामे डाला जाएगा।

उक्त प्रकरण से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया की महाविद्यालय मे बी°बी°ए° पाठ्यक्रम वर्ष 2006-07 से एवं बी°सी°ए° पाठ्यक्रम वर्ष 2010-11 से संचालित/ प्रारम्भ किए गए थे तथा उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण सत्र 2016-17 तक कुल 164 छात्रों ने प्रवेश किया (बी बी ए मे 135 छात्र तथा बी सी ए मे 29 छात्र) था। महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2006-07 से संविदा पर शिक्षक नियुक्त किए गए जिनको महाविध्यालय द्वारा प्रति वाद रु 125 की दरो से वर्ष 2006 से मई 2017 तक कुल रु 11,05,450 का भुगतान अभी तक किया गया था। आगे जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा उक्त समस्त धनराशि का भुगतान छात्रनिधियों से किया गया।

आगे संबंधित अभिलेखो कि जांच मे निम्नवत प्रमुख विसंगतिया प्रकाश मे आयी।

1. उक्त शासनादेश के अंतर्गत बी॰ बी॰ ए॰ तथा बी॰सी॰ए॰ पाठ्यक्रम हेतु क्रमश एक – एक पद स्वीकृत किया गया था जिसके सापेक्ष guest teacher की नियुक्ति की गयी थी परंतु उक्त पाठ्यक्रमों हेतु महाविद्यालय मे विभिन्न माहों मे, स्वीकृत पद पर संविदा के आधार पर अधिक नियुक्ति की गयी थी जिसका विवरण निम्न है।

क्र॰ स॰	संचालित पाठ्यक्रम/सत्र	माह	स्वीकृत पद	संविदा पर कार्यरत शिक्षको की संख्या	संविदा के आधार पर अधिक नियुक्ति
1	बी॰बी॰ए॰ सत्र 2006-07	Oct. to Dec 2006 & March 2007	01	02	01
2	बी॰बी॰ए॰ सत्र 2007-08	May 2007 & Aug. to Nov.2007	01	02	01
3	बी॰बी॰ए॰ सत्र 2008-09	April 2008, & Oct. to Dec.2008	01	02	01
4	बी॰बी॰ए॰ सत्र 2008-09	Feb.& march 2009	01	02	01
5	बी॰बी॰ए॰ सत्र 2009-10	April & may 2009	01	02	01
6	बी॰बी॰ए॰ सत्र 2009-10	Sep. to Dec.2009	01	02	01
7	बी॰बी॰ए॰ एवं बी॰सी॰ए॰ सत्र 2010-11	Sep to Nov.2011	02	03	01
8	बी॰बी॰ए॰ एवं बी॰सी॰ए॰ सत्र 2011-12	Aug.2012 Sep. to Nov. 2012	02 02	04 03	02 01
9	बी॰बी॰ए॰ एवं बी॰सी॰ए॰ सत्र 2013-14	Nov. & Dec.2013	02	03	01
10	बी॰बी॰ए॰ एवं बी॰सी॰ए॰ सत्र 2013-14	Feb. to May 2014	02	03	01
11	बी॰बी॰ए॰ एवं बी॰सी॰ए॰ सत्र 2014-15	Feb. to May 2015	02	04	02

2. उक्त शासनादेश का उल्लंघन करते हुए उक्त पाठ्यक्रम हेतु तैनात शिक्षको को दिया जाने वाला मानदेय आय-व्ययक की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202- सामान्य-03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103- राजकीय कालेज तथा 08- नए राजकीय महाविद्यालयो की स्थापना से न कर छात्रनिधियों से किया गया है।

3. शासनादेश के अनुसार संविदा पर कार्य करने के एवज मे शिक्षको को प्रति वादन रु 200 तथा प्रतिमाह कम से कम 8000/- तथा अधिकतम रु 10000 की धनराशि मानदेय के रूप मे दिया जाना था परंतु महाविद्यालय द्वारा शिक्षको को प्रतिवाद 125 कि दर से भुगतान किया गया था, जो उक्त शासनादेश के उल्लंघन किया जाना दर्शाता है।

4. शासनादेश के अनुसार शिक्षको को भुगतान किया जाने वाला मानदेय की अधिकतम सीमा रु 10000 निर्धारित की गयी थी जबकि जांच मे पाया गया धनराशि रु 17,500/- का शिक्षको को शासनादेश के विपरीत अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न है।

क्र° स°	**माह**	**वाद की संख्या**	**किया गया भुगतान (@125)**	**शासनादेश के अनुसार किया जाने वाला अधिकतम भुगतान**	**अधिक भुगतान**
1	03/2010	96	12,000	10,000	2000
2	04/2011	91	11,375	10,000	1375
3	03/2012	96	12,000	10,000	2000
4	April & May2012	-	22,250	20,000	2250
5	April & May2012	-	20,250	20,000	250
6	09/2012	84	10,500	10,000	500
7	09/2012	84	10,500	10,000	500
8	12/2012	95	11,875	10,000	1875
9	03/2013	95	11,875	10,000	1875
10	04/2013	99	12,375	10,000	2375
11	09/2013	88	11,000	10,000	1000
12	10/2013	85	10,625	10,000	625
13	04/2014	84	10,500	10,000	500
14	04/2016	85	10,625	10,000	625
				Total	**रु 17500/-**

5. महाविद्यालय द्वारा संविदा पर नियुक्त शिक्षको की कोई आवधिक रिपोर्टिंग शासन को नही की जा रही थी और न ही महाविद्यालय द्वारा शासन से पूर्व मे छात्रनिधियों के अंतर्गत संविदा शिक्षको को भुगतान करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त की गयी थी।

6. महाविद्यालय द्वारा संविदा पर तैनात शिक्षको के भुगतान हेतु उच्चाधिकारियों से स्वीकृति संबन्धित साक्ष्य एवं उनके मानदेय भुगतान हेतु शासन से किया गया मांग संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे नही पाये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है कि

बिन्दु संख्या 01 के संदर्भ मे छात्रों की हिट को देखते हुए, पठन- पाठन हेतु महाविद्यालय मे छात्र शुल्क निधि से अन्य शिक्षको की व्यवस्था की गयी।

बिन्दु संख्या 02 के संदर्भ मे तात्कालिक व्यवस्था की देखते हुए पाठन हेतु मानदेय पर व्यवस्था की गयी है।

बिन्दु संख्या 03 के संदर्भ मे मानदेय के रेट पी° डब्लू° डी° से लिया गया था तथा समरूपता लाने के लिए रु 125/- के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। बिन्दु संख्या 04 के संबंध मे जानकारी प्राप्त कर अनुपालन आख्या मे प्रेषित की जाएगी।

बिन्दु संख्या 05 हेतु ऐसा कोई प्रारूप निदेशालय से उपलब्ध नही है तथा निदेशालय से पत्राचार किया गया परंतु उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

बिन्दु संख्या 06 के संबंध मे सूचित किया की निदेशालय से पत्राचार किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योकि संविदा पर तैनात शिक्षको को दिया जाने वाला मानदेय आय-व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत व्यय किया जाना था जबकि उक्त हेतु व्यय छत्रनिधि से किया गया जो कि शासनादेश का उल्लंघन है तथा महाविद्यालय द्वारा संविदा पर नियुक्त शिक्षको को रु 200 प्रति वाद से भुगतान न कर पी डब्लू डी. की दरो से किया गया साथ ही संविदा पर नियुक्त शिक्षको को स्वीकृत पदो के सापेक्ष संविदा पर आधिक्य शिक्षको को नियुक्त किया गया है।

अतः महाविद्यालय मे स्वीकृत पदो के सापेक्ष संविदा पर अधिक शिक्षको की नियुक्ति एवं मानदेय धनराशि रु 11.05 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त Guest Faculty शिक्षको को किया गया भुगतान का विवरण।

क्रम संख्या	माह	दर	शिक्षको को किया गया भुगतान
1	October 2006	125	9000
2	November 2006	125	6000
3	December 2006	125	6250
4	Feb. & march 2007	125	1000
5	May 2007	125	2625
6	March to may 2007	125	6250
7	August 2007	125	7875
8	September 2007	125	9250
9	October & November 2007	125	15875
10	January 2008	125	7750
11	Feb. to april 2008	125	18125
12	May 2008	125	8500
13	August 2008	125	14375
14	October & November 2008	125	18250
15	October to december 2008	125	6000
16	Feb. to april 2009	125	23750
17	Feb. to april 2009	125	16125
18	May 2009	125	10375
19	September 2009	125	15250
20	October 2009	125	14500
21	November 2009	125	17125
22	December 2009	125	14625
23	April & may 2010	125	29375
24	August & sep. 2010	125	4250
25	September 2010	125	13125
26	October 2010	125	12125
27	November 2010	125	15500
28	December 2010	125	14125
29	Feb.2011	125	6000
30	March 2011	125	15000
31	April & may 2011	125	28000
32	August & September 2011	125	29700
33	October 2011	125	14625
34	November & december 2011	125	32125
35	Feb. & march 2012	125	19375
36	April & may 2012	125	42500
37	August 2012	125	13500
38	September 2012	125	30125
39	October & November 2012	125	39125
40	December 2012	125	20500
41	Feb.& march 2013	125	15375

42	April 2013	125	20750
43	May 2013	125	16750
44	August 2013	125	6000
45	September 2013	125	29625
46	October 2013	125	26125
47	November 2013	125	15500
48	December 2013 & feb.2014	125	20750
49	March 2014	125	22000
50	April 2014	125	30000
51	May 2014	125	20375
52	September 2014	125	17375
53	October 2014 to December 2014	125	20125
54	December 2014	125	11500
55	December 2014	125	4000
56	Feb. & march 2015	125	29250
57	April & may 2015	125	31250
58	August 2015 to November 2015	125	41250
59	Feb. & march 2016	125	8500
60	April & may 2016	125	6500
61	April & may 2016	125	17000
62	August & September 2016	125	19000
63	September & October 2016	125	33500
64	March 17 & april 17	125	8625
65	May 2017	125	6375
	Total Payment		**Rs. 11,05,450/-**

STAN

प्रस्तर-1- छात्र निधियों का शासनादेश का उल्लंघन कर पृथक-पृथक खाता खोले जाने तथा अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण।

शासनादेश सं.- 5125/15-11-86-4ए 8458/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 में छात्र निधियों का रखरखाव एवं उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान किये गये है कि महाविद्यालय में विभिन्न छात्र निधियों में छात्रों से शुल्क लिया जायेगा। जिसके रखरखाव हेतु प्रत्येक छात्रकोष का पृथक बचत अथवा चालू खाता किसी स्थानीय बैंक में खोला जायेगा। साथ ही अगर बचत खाते खोले जाते है, तो ब्याज में मिलने वाली ब्याज राशि को मेधावी छात्रों को पुरस्कार छात्रवृत्ति देने, अर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों की सहायता करने या अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

कार्यालय के खातों की जांच में उपरान्त ये पाया गया कि महाविद्यालय में वर्ष 2006-07 से छात्र निधियों का संचालन किया जा रहा है, परन्तु समस्त छात्र निधियों के संचालन हेतु कोई बैंक खाता नहीं खोला गया था तथा महाविद्यालय द्वारा संचालित कार्यालय का चालू खाता में ही संबंधित छात्र निधियों को संचालित किया गया। शासनादेश में यह स्पष्ट निर्देशित है कि छात्र निधियों हेतु बचत अथवा चालू खाता खोला जायेगा, जिसका नियंत्रण प्राचार्य द्वारा किया जायेगा तथा छात्र निधियों में अनियमितता पाये जाने पर प्रबन्ध तंत्र द्वारा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

आगे पाया गया कि धनराशि रु. 2681, 1862 एवं 3400 के टेलीफोन/विद्युत बिलों का भुगतान छात्र निधियों से किया गया है, जो कि शासनादेश का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि छात्र निधि संबंधित खाते पूर्व में नहीं खोले गये थे तथा पूर्व में कार्यालय व्यय हेतु संचालित खाते से ही व्यय किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2006-07 से छात्र निधियों हेतु कोई बैंक खाता संचालित नहीं किया गया तथा कार्यालय व्यय हेतु भी छात्र निधियों के पैसे का उपयोग किया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
प्रथम लेखापरीक्षा				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः 12/2006 से 03/2010 तक के अभिलेख

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
प्रो0 गिरीश चन्द्र मिश्रा	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग	7.02.2010 से 31.10.12 तक
डा0 कुमारी माधुरी	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग	1.11.2012 से 09.06.2017
डा0 विश्वनाथ खाली	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग	10.06.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र